उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-35/2023/247/52-1-2023-08(पी0एम0जे0वी0के0)/2019

लखनऊ: दिनांक 21 फरवरी, 2023

शुद्धि-पत्र

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद सीतापुर के लहरपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में परीक्षा कक्ष के निर्माण की समर्पित प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-134/2022/1301/52-1-2022-08(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 30.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश संख्या-134/2022/1301/52-1-2022-08(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 30.12.2022 के प्रस्तर-1 की पंक्ति संख्या-03 एवं 04 में टंकण त्रुटिवश **"पैकफेड"** के स्थान पर **"उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0, लखनऊ"** अंकित हो गया है।

3- उक्त शासनादेश संख्या-134/2022/1301/52-1-2022-08(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 30.12.2022 के प्रस्तर-1 की पंक्ति संख्या-03 एवं 04 में अंकित **"उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0, लखनऊ"** के स्थान पर **"पैकफेड"** समझा/पढ़ा जाये।

4- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-247(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया जनपद सीतापुर के लहरपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में परीक्षा कक्ष के निर्माण का मानकानुसार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से भी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यों के लिए किसी दूसरी मद से धनराशि का आहरण न किया गया हो।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ

8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ।

9- प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, **पैकफेड** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत परियोजना का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **सीतापुर** को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत राजकीय बालिका इण्टर कालेज में परीक्षा कक्ष के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।